

# झारखण्ड विधान सभा

## कार्य सूची

पंचम झारखण्ड विधान-सभा

11 नवम्बर, 2022 (ई०)

शुक्रवार, तिथि-

[नवम्(मानसून)सत्र]

20 कार्तिक, 1944 (श०)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11:00 बजे पूर्वाह्न)

-: राजकीय विधेयक :-

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (संशोधन)

विधेयक, 2022

- (01)-मुख्यमंत्री (प्रभारी, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) श्री हेमन्त सोरेन, प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022” को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (02)-मुख्यमंत्री (प्रभारी, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) श्री हेमन्त सोरेन, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (03)-मुख्यमंत्री (प्रभारी, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) श्री हेमन्त सोरेन, प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022” पर विचार हो।
- (04)-मुख्यमंत्री (प्रभारी, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) श्री हेमन्त सोरेन, प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण(संशोधन) विधेयक, 2022” स्वीकृत हो।

झारखण्ड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक, 2022

- (05)-मुख्यमंत्री (प्रभारी, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) श्री हेमन्त सोरेन, प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक, 2022” को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

कृ०पृ०30.....2/-

- (06)- मुख्यमंत्री (प्रभारी, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) श्री हेमन्त सोरेन, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (07)- मुख्यमंत्री (प्रभारी, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) श्री हेमन्त सोरेन, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक, 2022" पर विचार हो।
- (08)- मुख्यमंत्री (प्रभारी, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) श्री हेमन्त सोरेन, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक, 2022" स्वीकृत हो।
- (09)- अन्य नितान्त आवश्यक कार्य (यदि हो)।


सैयद जावेद हैदर

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची

ज्ञाप संख्या:- कार्य 0का0सू0-05/2022-<sup>2152</sup>...../वि0स0, राँची, दिनांक- 10/11/22

प्रतिलिपि:- माननीय सदस्यगण, झारखण्ड विधान-सभा, राँची/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/सरकार के मुख्य सचिव, झारखण्ड/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची/ लोकसभा, नई दिल्ली/झारखण्ड सरकार के समस्त विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




(हरेन्द्र कुमार साह)

उप सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या:- कार्य 0का0सू0-05/2022-<sup>2152</sup>...../वि0स0, राँची, दिनांक- 10/11/22

प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं निजी सहायक, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।




उप सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।


ज्ञाप संख्या:- कार्य 0का0सू0-05/2022-<sup>2152</sup>...../वि0स0, राँची, दिनांक- 10/11/22

प्रतिलिपि:- झारखण्ड विधान-सभा के सभी पदाधिकारीगण/वेबसाईट शाखा/पुस्तकालय शाखा, जनसम्पर्क शाखा एवं झारखण्ड विधान-सभा टी0वी0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



उप सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।



गोपी कृष्ण भगत